सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 90/2019 दायर दिनाँक 28.08.2019

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. सुरेश चन्द पुत्र स्व0 श्रवणराम जाति खाती निवासी रणसीसर जाटान तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गंगाराम पुत्र चौथुराम 2. पतासीदेवी पत्नी स्व0 श्रवणराम 3. कैलाश चन्द्र पुत्र स्व0 श्रवणराम 4. पानादेवी पुत्री स्व0 श्रवणराम 5. रामनिवास पुत्र स्व0 श्रवणराम 6. देवेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्रवणराम 7. मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 श्रवणराम 8. सुमन पुत्री स्व0 श्रवणराम समस्त जाति खाती निवासीगण रणसीसर जाटान तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 212, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री प्रकाश डुकिया वकील, वादी
2. श्री राजेन्द्र माथुर वकील प्रतिवादी सं0 01
3. श्री इस्लामुदीन वकील प्रतिवादी सं0 02 ता 08

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 16.01.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 08 का हित समान होने से अप्रार्थी सं0 02 ता 08 के विरूद्ध कोई इस्तदुआ प्रार्थी की और से नहीं चाही गई है। वाद—पत्र में उक्त पक्षकारान होने के कारण उनको शिर्षक में सुविधा के अनुसार दर्शित किया है।

वाके सरहद रणसीसर जाटान में स्थित खेत खसरा सं0 501 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक के पिता/पति स्व0 श्रवणराम व अप्रार्थी सं0 01 गंगाराम की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त का अवस्थित है। मौजा रणसीसर जाटान के खेत खसरा सं0 501 रकबा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 90/2019
दायर दिनाँक 28.08.2020, निर्णय दिनाँक 16.01.2020
सुरेश चन्द बनाम गंगाराम, वगैरा।

07 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 08 तक के पिता/पति स्व0 श्रवणराम व अप्रार्थी सं0 01 गंगाराम द्वारा दिनांक 18.05.1973 को संयुक्त रूप से खरीद किया था तब से पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार कोई बंट ना होकर उक्त खेत संयुक्त रूप से उपभोग व उपयोग का रहा है। जिसमें पक्षकारान अपनी सुविधा के अनुसार उक्त खेत पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 08 तक के पिता/पति श्रवणराम 1/2 भाग पर तत्पश्चात श्रवणराम के दिनांक 20.05.2018 को देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक 1/2 भाग पर तथा अप्रार्थी सं0 01 उक्त खेत की 1/2 भाग भूमि पर अलग अलग रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जिनके मध्य कभी भी किसी प्रकार का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

उक्त खातेदारी भूमि पर बिना बंटवारा किये ही अप्रार्थी सं0 01 ने निर्माण शुरू करवा दिया है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 01 को औलमा दिया तो अप्रार्थी सं0 01 ने प्रार्थी को कहा कि मैं बिना विधिव बंटवारा करवाये ही इस खेत की किमती भमि पर निर्माण करवा कर के तुमकों बेजा नुकसान पंहुचाऊगां तथा इस खेत की किमती भूमि का किसी को बैचाण भी करूंगा, तुमसे जो हो वो कर लों। उक्त खेत का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं होने के कारण प्राथम दृष्टया मामला प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक के पक्ष में बना हुआ है तथा उक्त खेत पर संयुक्त रूप से कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 07 के हक में है। अप्रार्थी सं0 01 निर्माण करवाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी व अप्राथी सं0 02 ता 08 को अजहद नुकसान होगा जिसकी भरपाई नकदी से संभव नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सं0 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 01 के जवाब अनुसार प्रार्थी ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त पद में वर्णित भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की हो खातेदारी में नाम इस रूप में रहा है, परन्तु संबंधित पक्षकारों के बीच इस भूमि का बंटवारा तो लगभग 45–50 साल पहले ही हो चुका था तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि का 1/2 का उत्तरादा हिस्सा अप्रार्थी गंगाराम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के पक्ष में हिस्से में आया था तथा दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी पक्ष के हिस्से में आया था। तभी से संबंधित पक्षकार अपने–अपने हिससे की भूमियों पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस काबिज है। दोनों हिस्सों के बीच नींवे–शिवें कायम है। यहीं नहीं लगभग 28–30 वर्ष पहले अर्थात लगभग 1991–92 के आस–पास तो अप्रार्थी ने अपने बंट के हिस्से में मकानात बनाये थे। इसके बाद फिर सन् 2002–03 में फिर अप्रार्थी गंगाराम द्वारा अपने बंट की जमीन में कुछ मकानात और बनायें और फिर सन् 2007–08 में भी अप्रार्थी गंगाराम ने अपने हिस्से में पक्के मकानात आदि बनायें। उक्त सभी निर्माण कार्य वर्तमान में भी मौजुद है। जो अप्रार्थी गंगाराम के कृषि कार्य हेतु एवं रहवास हेतु निरन्तर कार्य में आ रहे है। जहां अप्रार्थी गंगाराम सपरिवार निवास करता है। यही नहीं प्रार्थी स्वयं ने अपने बंट में आये उक्त दक्षिणी हिस्सा में सन् 2002–03 में अपने रहवासी मकानात आदि बनाये हुये है। जिन तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त संबंधित पक्षों के बीच में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा बहुत पहले हो चुका है और लगभग 45 वर्षो से भी अलग समय से दोनों पक्षें की अलग–अलग हिस्सों में कब्जा काश्त व मकानात बने हुये है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रार्थी का बंटवारा का वाद प्रथम दृष्टया ही पोषनीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि संबंधित पक्ष 1/2–1/2 भाग पर अलग–अलग रूप से काश्त करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी स्वयं बंटवारा के तथ्य को स्वीकार कर रहा है। तब प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषनीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। जब संबंधित पक्षों के बीच लगभग 45–50 वर्षो पहले से ही आपस में बंटवारा हो चुका है और पुरी भूमि का उत्तरी हिस्सा अप्रार्थी गंगाराम के तथा दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी के बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंट व कब्जा काश्त का है। जिसमें उपरोक्त में वर्णित जवाब अनुसार सन् 1991–92 से लगातार क्रमशः पक्के मकानात बने हुये है तब प्रथम तो उक्त वाद ही पोषनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी को अपने खातेदारी बंटवारा एवं कब्जा काश्त की भूमि में हर प्रकार से निर्माण कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है। जिस बाबत प्रार्थी को वाद लाने का अधिकार ही नहीं है। जब अप्रार्थी अपने पुराने मकानों के पास ही अपने हिस्से में कोई नव निर्माण कर रहा है तो प्रार्थी को इसमें किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ही असत्य है। फिर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा का किस रूप में किया है और इस रूप में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उसे क्या अनुतोष चाहिए यह स्पष्ट नहीं है। जिसके अभावमें पुरा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट ली गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके सरहद रणसीसर जाटान में स्थित खेत खसरा सं0 501 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक के पिता/पति स्व0 श्रवणराम व अप्रार्थी सं0 01 गंगाराम की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त का अवस्थित है। मौजा रणसीसर जाटान के खेत खसरा सं0 501 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 08 तक के पिता/पति स्व0 श्रवणराम व अप्रार्थी सं0 01 गंगाराम द्वारा दिनांक 18.05.1973 को संयुक्त रूप से खरीद किया था तब से पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार कोई बंट ना होकर उक्त खेत संयुक्त रूप से उपभोग व उपयोग का रहा है। जिसमें पक्षकारान अपनी सुविधा के अनुसार उक्त खेत पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 08 तक के पिता/पति श्रवणराम 1/2 भाग पर तत्पश्चात श्रवणराम के दिनांक 20.05.2018 को देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक 1/2 भाग पर तथा अप्रार्थी सं0 01 उक्त खेत की 1/2 भाग भूमि पर अलग अलग रूप से काश्त करते चले आ रहे है। जिनके मध्य कभी भी किसी प्रकार का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त खातेदारी भूमि पर बिना बंटवारा किये ही अप्रार्थी सं0 01 ने निर्माण शुरू करवा दिया है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 01 को औलमा दिया तो अप्रार्थी सं0 01 ने प्रार्थी को कहा कि मैं बिना विधिव बंटवारा करवाये ही इस खेत की किमती भमि पर निर्माण करवा कर के तुमकों बेजा नुकसान पंहुचाऊगां तथा इस खेत की किमती भूमि का किसी को बैचाण भी करूंगा, तुमसे जो हो वो कर लों। उक्त खेत का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं होने के कारण प्राथम दृष्टया मामला प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 से 08 तक के पक्ष में बना हुआ है तथा उक्त खेत पर संयुक्त रूप से कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 02 ता 07 के हक में है। अप्रार्थी सं0 01 निर्माण करवाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी व अप्राथी सं0 02 ता 08 को अजहद नुकसान होगा जिसकी भरपाई नकदी से संभव नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सं0 01 को जरिये

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 90/2019
दायर दिनाँक 28.08.2020, निर्णय दिनाँक 16.01.2020
सुरेश चन्द बनाम गंगाराम, वगैरा।

अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद तक कन्फर्म स्थाई किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त पद में वर्णित भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की हो खातेदारी में नाम इस रूप में रहा है, परन्तु संबंधित पक्षकारों के बीच इस भूमि का बंटवारा तो लगभग 45–50 साल पहले ही हो चुका था तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि का 1/2 का उत्तरादा हिस्सा अप्रार्थी गंगाराम के पक्ष में हिस्से में आया था तथा दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी पक्ष के हिस्से में आया था। तभी से संबंधित पक्षकार अपने–अपने हिससे की भूमियों पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस काबिज है। दोनों हिस्सों के बीच नींवे–सिवें कायम है। यहीं नहीं लगभग 28–30 वर्ष पहले अर्थात लगभग 1991–92 के आस–पास तो अप्रार्थी ने अपने बंट के हिस्से में मकानात बनाये थे। इसके बाद फिर सन् 2002–03 में फिर अप्रार्थी गंगाराम द्वारा अपने बंट की जमीन में कुछ मकानात और बनायें और फिर सन् 2007–08 में भी अप्रार्थी गंगाराम ने अपने हिस्से में पक्के मकानात आदि बनायें। उक्त सभी निर्माण कार्य वर्तमान में भी मौजुद है। जो अप्रार्थी गंगाराम के कृषि कार्य हेतु एवं रहवास हेतु निरन्तर कार्य में आ रहे है। जहां अप्रार्थी गंगाराम सपरिवार निवास करता है। यही नहीं प्रार्थी स्वयं ने अपने बंट में आये उक्त दक्षिणी हिस्सा में सन् 2002–03 में अपने रहवासी मकानात आदि बनाये हुये है। जिन तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त संबंधित पक्षों के बीच में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा बहुत पहले हो चुका है और लगभग 45 वर्षो से भी अलग समय से दोनों पक्षें की अलग–अलग हिस्सों में कब्जा काश्त व मकानात बने हुये है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रार्थी का बंटवारा का वाद प्रथम दृष्टया ही पोषनीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 गंगाराम पुत्र चौथुराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. मैं जो प्रस्तावित निर्माणा कर रहा हूं वह कृषि कार्य व इससे संबंधित कार्यो हेतु ही कर रहा हूं।
2. मैं उक्त निर्माण अपने जवाब दावा में अंकित अपने बंट, हक व हिस्सा तथा कब्जा की भूमि पर हीं करूंगा मैनें वादी की किसी भूमि पर कोई निर्माण की योजना नहीं है। जो निर्माण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

करूंगा मेरे हक हिस्सा व बंट जिसका पुराना सीमांकन मौके पर मौजुद है, पर ही करूंगा।

3. मेरे पास व मेरे परिवार के पास उक्त भूमि के अलावा निवास योग्य कोई भूमि नहीं है केवल यही कृषि भूमि है जिसमें मैं व मेरा परिवार मकान बनाकर अपना जीवन यापन कर सके।

बहस के तर्को पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से में काबिज है तथा सभी पक्षकारान मकानात बनाकर रह रहे है। मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि सभी की नींवें सिवें अलग है तथा सभी पक्षकारान मकानात बनाकर रह रहे है। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी पक्षकारानों ने लगभग 40 वर्ष पहले से ही अपने–अपने मकानात बनाकर रह रहें है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्षकार को निर्माण हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अप्रार्थी सं0 01 द्वारा दिये गये शपथ–पत्र में निवेदन किया कि उसके व उसके परिवार के उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। जिससे अप्रार्थी को निर्माण न करने देना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है।

अतः न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.01.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.01.21 13:42:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: